दिनांक- 02/02/2024 को वाहन चोरी की घटना को अंजाम देने वाले 02 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से चोरी की मोटर साइकिल तथा अवैध धारदार चाकू बरामद।

दिनांक: 01-02-24 को वादी राहुल गिरी पुत्र स्व0 सुभाष गिरी निवासी खडखडी नई बस्ती हरिद्वार द्वारा थाना रायवाला पर लिखित प्रार्थना पत्र दिया गया कि दि0 21.01.24 की रात्रि में दोस्तो के बीच आपसी मनमुटाव होने पर वो अपनी मोटर साईकिल संख्या: यू0के0-08- बीबी-0346 को खाण्ड गाँव मोतीचूर फ्लाईओवर के पास छोड कर चला गया था। अगली सुबह आने पर वाहन वहाँ पर न मिलने व दोस्तो से पता करने पर वाहन के सम्बन्ध मे कोई जानकारी नही मिल पायी, जिसे सम्भवतः रात्री में ही किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा चोरी कर लिया गया। घटना के सम्बन्ध में थाना रायवाला पर तत्काल मु0अ0स0 16/24 धारा 379 भादवि पंजीकृत किया गया। घटना के अनावरण एवं अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून द्वारा दिए गए निर्देशों पर तत्काल पुलिस टीम का गठन किया गया। गठित पुलिस टीम द्वारा घटना स्थल के आस-पास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेजों का अवलोकन करते हुए स्थानीय लोगों से घटना के सम्बन्ध में जानकारी एकत्रित की गई। इसके अतिरिक्त मैनुवल पुलिसिंग कर सुरागरसी पतारसी करने के साथ-साथ स्थानीय मुखबिर तंत्र को भी सक्रिय किया गया। पुलिस द्वारा किये जा रहे लगातार प्रयासों के परिणाम स्वरूप मुखबिर खास की सूचना पर चोरी की घटना को अन्जाम देने वाले 02 शातिर अभियुक्तगणो 1- निशांत चौहान 2- अंकुर कुमार को प्राईमरी स्कूल के सामने सर्विस रोड हरिपुरकला रायवाला से चोरी की मोटर साईकिल संख्या: यू0के0-08- बीबी- 0346 (स्प्लेण्डर काले रंग की) के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगणो की तलाशी लेने पर उनके पास से 02 अवैध धारधार चाकू भी बरामद हुए। जिसके सम्बन्ध मे अलग से मु0अ0स0 17/24 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट मे अभियोग पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त निशान्त पूर्व में थाना रायवाला से आबकारी अधिनियम के वाद में जेल जा चुका है। अभियुक्तो को समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

विवरण गिरफ्तार अभियुक्तः-

1. निशान्त चौहान पुत्र महेन्द्र सिंह निवासी राणा कालोनी हरिपुरकला थाना रायवाला देहरादून उम्र 28 वर्ष
2. अंकुर कुमार पुत्र स्व0 रामपाल सिंह नि0 शिव लोक कालोनी भगत सिंह चौक रानीपुर मोड हरिद्वार हाँल निवासी हरिपुकला थाना रायवाला देहरादून उम्र 28 वर्ष

आपराधिक इतिहास अभियुक्तः-

अभियुक्त निशान्तः मु0अ0सं0: 169/18 धारा 60/72 आबकारी एक्ट, थाना रायवाला।

बरामदगी का विवरणः-

(1)- चोरी की गयी मोटर साईकिल यू0के0-08-बीबी-0346(स्प्लेण्डर काले रंग की)
(2)- 02 अदद धारदार चाकू

पुलिस टीमः-

1- उ0नि0 सन्दीप चौहान
2- हे0का0 286 सन्दीप चौहान
3- कानि0 1292 पंकज चौहान

थाना रायवाला
महिला हेल्प डेस्क
जनपद देहरादून